- यह अलोकतांत्रिक तरीके से, कमजोर बहुमत वाली सरकार (गठबंधन सरकार) को सदन में विपक्षी दल की संख्या में चालाकी से हेरफेर करके, लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित करने का अवसर दे सकता है।
- इस तरह का कदम "पूरे लोकतंत्र के लिए फायदेमंद नहीं होगा" क्योंकि इसकी वजह से, विपक्ष अपने सदस्यों को लंबी अवधि के लिए निलंबित किए जाने के डर के कारण, सदन में होने वाली चर्चा / बहस में प्रभावी रूप से भाग नहीं ले पाएगा।

आगे की कार्रवाई: जिन विधायकों को महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा पिछले साल जुलाई में सत्र के दौरान निलंबित कर दिया गया था, उन्हें उस सत्र की समाप्ति के बाद, विधायकों को मिलने वाले लाभ एवं अधिकार प्राप्त होंगे।

संबधित प्रकरण:

महाराष्ट्र के 12 बीजेपी विधायकों को, पीठासीन अधिकारी के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार करने के आरोप में विधानसभा से एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया था।

विधायकों के निलंबन हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया:

महाराष्ट्र विधान सभा नियमावली के नियम 53 के तहत, विधान सभा सदस्यों को निलंबित करने की शक्ति का प्रयोग केवल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ही किया जा सकता है, और अध्यक्ष के इस निर्णय को मतदान के लिए नहीं रखा जा सकता है।

- नियम 53 के अनुसार, "किसी सदस्य द्वारा विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय का अनुपालन करने से इंकार किए जाने पर, अथवा अध्यक्ष की राय में किसी सदस्य द्वारा पूर्णतयः नियम-विरुद्ध व्यवहार किए जाने पर, अध्यक्ष उस विधायक को तत्काल विधानसभा से बाहर निकल जाने का निर्देश दे सकता है।
- उक्त विधानसभा सदस्य "उस दिन के सत्र की शेष अवधि के दौरान बैठक में भाग नहीं लेगा"।
- यदि किसी सदस्य को एक ही सत्र में दूसरी बार सदन से बाहर निकलने का आदेश दिया जाता है, तो विधानसभा अध्यक्ष, उस सदस्य को "चालू सत्र की शेष अवधि के लिए सदन से अनुपस्थित रहने का निर्देश दे सकता है" इस प्रकार का निर्देश चालू सत्र की अवधि तक ही लागू रहेगा।

प्रीलिम्स लिंक:

1. सांसदों को निलंबित करने व निलंबन रद्द करने संबंधी शक्तियां।
2. इस संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की प्रक्रियाओं में अंतर।
3. सांसदों के निर्वाचन के संबंध में अपील।
4. इस संबंध में नियम।

मेंस लिंक: सांसदों के अनियंत्रित व्यवहार का समाधान दीर्घकालिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए। टिप्पणी कीजिए। स्रोत: द हिंदू।

विषय: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ।

1. चुनाव-व्यय सीमा

संदर्भ: हाल ही में, 'भारत निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) द्वारा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव-व्यय की सीमा (Election Expenditure Limit) में बढ़ोत्तरी की गयी है।

हालिया परिवर्तन:

- लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए चुनाव-व्यय की सीमा 54 लाख रुपये-70 लाख रुपये (राज्यों के अनुसार) से बढ़ाकर 70 लाख-95 लाख रुपये कर दी गई है।
- विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव-व्यय की सीमा 20 लाख रुपये-28 लाख रुपये से, बढ़ाकर 28 लाख रुपये-40 लाख रुपये (राज्यों के अनुसार) कर दी गई है।
- उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के लिए चुनाव-व्यय में 40 लाख रुपये की, तथा गोवा और मणिपुर के लिए 28 लाख रुपये की बढोत्तरी की गयी है।